

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

निर्णय दिनांक :-24.07.2025

(पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्या:- 2023/994 राजस्व वाद

अनवान

1. सुन्दरसिंह पिता किशनसिंह जी जाति चदाणा राजपुत, आयु 54 वर्ष, निवासी मोलेला, गायरियों की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद

..... वादी

बनाम

1. मोतीसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी मोलेला, गायरियों की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद

..... प्रतिवादीगण

वाद विभाजन कृषि भूमियां एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अतंगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:- श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता वादी।

—: आदेश :—

दिनांक:- 24.07.2025

अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसील खमनोर से प्राप्त प्रारंभिक डिक्री की पालना रिपोर्ट से वादी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं होने एवं अपनी सहमति प्रदान करने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश सुनाया जाता है:-

:: निर्णय ::

वादी का विभाजन का वाद स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम मोलेला, पटवार हल्का मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2076-2076 के खाता संख्या नया 1165, पुराना 1109 में वर्णित आराजीयात् में से खसरा संख्या 3564 रकबा 0.0126 है., खसरा संख्या 3565/1 रकबा 0.0126 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0252 है। सुन्दरसिंह पिता किशनसिंह जाति चदाणा निवासी मोलेला एवं खसरा संख्या 3563 रकबा 0.0126 है। खसरा संख्या 3565मी. रकबा 0.0126 है। कुल किता 2 कुल रकबा 0.0252 है। मोतीसिंह पिता किशनसिंह जाति चदाणा निवासी मोलेला हिस्सा अलग-अलग खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी पृथक से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर द्वारा जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।



(Signature)

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

अंतिम डिक्री ब मुकदमे इब्लदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)
(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रक्षा पारिक, R.A.S.

प्रकरण संख्या:- 2023/994 राजस्व वाद

अनवान

1. सुन्दरसिंह पिता किशनसिंह जी जाति चदाणा राजपुत, आयु 54 वर्ष, निवासी मोलेला, गायरियों की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद

..... वादी

बनाम

1. मोतीसिंह पिता किशनसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी मोलेला, गायरियों की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद

..... प्रतिवादीगण

वाद विभाजन कृषि भूमियां एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अतंगत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:- श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता वादी।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू मेरे हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी एड. मिनजानिब मुदई व मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि:-

वादी का विभाजन का वाद स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम मोलेला, पटवार हल्का मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद की जमाबंदी संवत् 2076-2076 के खाता संख्या नया 1165, पुराना 1109 में वर्णित आराजीयात् में से खसरा संख्या 3564 रकबा 0.0126 है., खसरा संख्या 3565/1 रकबा 0.0126 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0252 हैक्टेयर भूमि सुन्दरसिंह पिता किशनसिंह जाति चदाणा निवासी मोलेला एवं खसरा संख्या 3563 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3565मी. रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.0252 हैक्टेयर भूमि मोतीसिंह पिता किशनसिंह जाति चदाणा निवासी मोलेला हिस्सा अलग-अलग खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा। नीज..... -..... मुबलिज -.....-..... बाबत -.....-... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर -.....-..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक -.....-... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.07.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।



(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमंद

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा			स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प हाजरी
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान्
खर्चा गवाहान्			फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा
बबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक
मुतफरिक			
मिलान			मिलान

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिक्की के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।



(Signature)

(रक्षा पारिक, RAS)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

सहायक कलक्टर

नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द